



प्रेस नोट थाना चकेरी कानपुर नगर

शातिर अपराधियों को थाना चकेरी पुलिस द्वारा चोरी के मो0सा0 के साथ किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेंट कानपुर नगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी महोदय व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी महोदय व सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी महोदय कमिश्नरेंट कानपुर नगर के निर्देशन व प्र0नि0 चकेरी महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0430/2024 धारा 379 आईपीसी व मु0अ0सं0 429/2024 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अभिषेक गुप्ता पुत्र हुकुम गुप्ता निवासी पटेल नगर अहिरवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 19 वर्ष, 2. हिमांशु पुत्र सुरेश निवासी तड़बगिया थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 19 वर्ष तथा 3. विजय राय पुत्र सुनील राय निवासी विराटनगर अहिरवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 20 वर्ष को दिनांक 30.06.2024 को समय करीब 22.10 बजे मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को एच.ए.एल स्थित अहिरवा के जंगल में थाना चकेरी कानपुर नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है दौराने गिरफ्तारी मा0 उच्च न्यायालय / मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों / निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुये नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान देने योग्य यह है कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2024 धारा 379 भादवि की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा त्रिनेत्र ऐप सीसीटीवी कैमरे की मदद से फुटेज प्राप्त कर अभियुक्त विजय राय पुत्र सुनील राय उपरोक्त की पहचान की गयी थी जिससे अभियुक्त से पूछताछ पर उक्त अभियोग में चोरी गयी सो0सा UP 78 FQ 9802 के बारे में बताया गया व उसका एक साथी अभिराज कुशवाह पुत्र अमित कुशवाह निवासी 57/A2 विराट नगर अहिरवा थाना चकेरी उम्र 20 वर्ष जो कि भागा हुआ है।

संक्षिप्त विवरण:- महोदय उपरोक्त शातिर अपराधी से कडाई से पूछताछ करने पर शातिर अपराधी द्वारा बताया गया कि हम लोग कानपुर नगर के चकेरी क्षेत्र व अन्य थाना क्षेत्र में घूम घूम कर मो0सा0 को चोरी कर के इकट्ठा करते हैं और इसको आज बेचने के लिए निकले थे कि आप लोगो पकडा लिया। अभियुक्त विजय राय पुत्र सुनील राय उपरोक्त ने अपने पूछताछ पर बताया कि मेरा एक साथी अभिराज कुशवाह पुत्र अमित कुशवाह निवासी 57/A2 विराट नगर अहिरवा थाना चकेरी उम्र 20 वर्ष जो कि मो0सा0 UP 78 FQ 9802 को लेकर भागा हुआ है।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता:-

- 1.अभिषेक गुप्ता पुत्र हुकुम गुप्ता निवासी पटेल नगर अहिरवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष,
2. हिमांशु पुत्र सुरेश निवासी तड़बगिया थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 19 वर्ष
3. विजय राय पुत्र सुनील राय निवासी विराटनगर अहिरवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 20 वर्ष

बरामदगी माल:-

पांच मो0सा0 जिनका नम्बर (1) UP 78 EN 8502 (2) UP 78 GB 4418 (3) UP 78 BL 1478 (3) प्लेटिना मो0सा0 चेचिस नम्बर MD2DDDZZRPC58711 (5) स्पेलेण्डार चेचिस नम्बर MBLH12EMC9C05710

अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत अन्य थानों पर अभियोग का विवरण:-

अभिषेक गुप्ता पुत्र हुकुम गुप्ता निवासी पटेल नगर अहिरवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष
मु0अ0सं0 141/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना चकेरी कानपुर नगर
मु0अ0सं0 652/23 धारा 60 आबकारी अधि0

गिरफ्तार करने वाली टीम के अधि0/कर्म0गण:-

प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार दुबे थाना चकेरी कानपुर नगर ।
उ0नि0 श्री आदेश कुमार यादव चौकी प्रभारी चकेरी थाना चकेरी कानपुर नगर ।
उ0नि0 श्री अरुण कुमार चौकी प्रभारी अहिरवाँ थाना चकेरी कानपुर नगर ।
उ0नि0 श्री रविंद्र राणा सहायक चौकी चकेरी थाना चकेरी कानपुर नगर ।
उ0नि0 श्री लोचन सहायक चौकी चकेरी थाना चकेरी कानपुर नगर ।
का0 2246 सौरभ सिंह थाना चकेरी कानपुर नगर ।
का0 5067 आर्यन थाना चकेरी कानपुर नगर ।
का0 3564 संजीव थाना चकेरी कानपुर नगर ।

